भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1292

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले किसानों का सर्वेक्षण

1292. श्रीमती मंजू शर्माः

श्री देवेश चन्द्र ठाकुरः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सीमांत किसानों सहित किसानों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गरीब और सीमांत किसानों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त विशेष/कल्याणकारी योजनाओं से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ख): गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सीमांत किसानों सहित किसानों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ): भारत सरकार ने देश में कृषि विकास के व्यापक फ्रेमवर्क के तहत गरीब और सीमांत किसानों को सहायता देने पर विशेष ध्यान देते हुए किसानों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की हैं। ये योजनाएं, विशेष रूप से गरीब और सीमांत किसानों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए बनाई गई हैं।

सीमांत और गरीब किसानों सहित किसानों के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में शामिल हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान): यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को उनकी आय में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत अक्तूबर, 2024 में 18वीं किस्त के रूप में लगभग 9.58 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई है। अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि संवितरित की जा चुकी है।

2. पीएम फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.): किसानों को बुवाई-पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने और पर्याप्त दावा राशि प्रदान करने के लिए पी.एम.एफ.बी.वाई. योजना आरंभ की गई थी। कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों में - 68.85 करोड़ किसान आवेदन नामांकित हुए और 18.65 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों को 1,65,966/- करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं।

3. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-के.एम.वाई.): यह एक पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के आरंभ से अब तक 23.41 लाख से अधिक छोटे और सीमांत किसान पीएम-के.एम.वाई. योजना में शामिल हो चुके हैं।

4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.): ब्याज छूट योजना (आई.एस.एस.) फसल पालन और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को रियायती अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करती है।

5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.): ए.आई.एफ. को देश के कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। ए.आई.एफ. ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। दिनांक 19.11.2024 तक इस योजना के तहत 83,763 परियोजनाओं की स्थापना के लिए बैंकों द्वारा 51,239/- करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.): एक योजना जिसका उद्देश्य राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता और किसानों के कल्याण को बढ़ाना है।

7. बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एम.आई.एस.-पी.एस.एस.): इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को चरम आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में मजबूरन बिक्री से बचाना है जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।

8. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम): यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो किसानों को बिचौलियों से बचाते हुए सीधे खरीदारों को अपनी उपज बेचने की अनुमति देता है।

सरकार इन तथा अन्य कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीमांत एवं गरीब किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

*****